रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 1999/चैत्र 9, 1921

No. 155] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 1999/CHAITRA 9, 1921

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1999

सा. का. नि. 232 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 174"

संविधान (राजस्व वितरण)

संख्यांक 4 आदेश, 1999

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 4 आदेश, 1999 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

राज्य	(रुपए करोड़ों में)
(1)	(2)
अरुणाचल प्रदेश	16.11
असम	27.81
गोवा	2.37
हिमाचल प्रदेश	36.82
जम्मू-कश्मीर	58.84
मणिपुर	17.90
मेघालय	15.51
मिजोरम	17.55
नागालैंड	28.65
उड़ीसा	7.18
सिक्किम	5.13
त्रिपुरा	24.89

संबद्ध राज्यों की वास्तविक वसूली की दशा में, 1 अप्रैल, 1995, 1 अप्रैल, 1996, 1 अप्रैल, 1997 और 1 अप्रैल, 1998 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान खानों और खनिजों पर स्वामित्व, दसवें वित्त आयोग द्वारा कल्पित रकम से अधिक है तो 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में संबद्ध राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (1) के अधीन संदेय सहायता अनुदान में से उपयुक्त कटौती की जाएगी। अनुच्छेद 275 के खंड (1) के अधीन राज्यों को संदेय सहायता अनुदान पर्याप्त न होने की दशा में, राज्यों को संदेय अन्य अनुदानों में समायोजन किया जा सकेगा।

(3) उप पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक परन्तुक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(4)/99-विधायी 1]
रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1999

G. S. R. 232(E).—The following Order made by the President is published for general information :

"C. O. 174"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 4 ORDER, 1999

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) No. 4 Order, 1999.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1998, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it :—

	State	Rupees in Crores
	(1)	(2)
1.	Arunachal Pradesh	16.11
2.	Assam	27.81
3.	Goa	2.37
4.	Himachal Pradesh	36.82
5.	Jammu and Kashmir	58.84
6.	Manipur	17.90
7.	Meghalaya	15.51
8.	Mizoram	17.55
9.	Nagaland	28.65
10.	Orissa	7.18
11.	Sikkim	5.13
12.	Tripura	24.89

(2) In case the actual realisation of the concerned States from royalty on mines and minerals during the financial years commencing on the 1st day of April, 1995, the 1st day of April, 1996, the 1st day of April, 1997 and the 1st day of April, 1998 is higher than that assumed by the Tenth Financial Commission, then, suitable reduction will be made in financial year commencing on the 1st day of April, 1999 in the grants payable to the concerned States under clause (1) of article 275 of the Constitution. In case the grants payable to the States under clause (1) of article 275 are not adequate, the adjustment may be made from the other grants payable to the States.

(3) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K. R. NARAYANAN,
President.

[F. No. 19(4)/99-L.I]
RAGHUBIR SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.